

आज दिनांक 01.11.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दविश के दौरान 04 वारण्टी गिरफ्तार**

**थाना धनघटा पुलिस द्वारा** दविश के दौरान 01 नफर वारण्टी नाम पता 1-हरिशंकर पाण्डेय पुत्र राम नारायण पाण्डेय निवासी सोहनगवा थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी निरीक्षक धनघटा श्री विनय कुमार पाण्डेय मय हमराह ।

**थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** दविश के दौरान 03 नफर वारण्टी नाम पता 1- गंगेश्वरी पुत्र रंगबहादुर 2- हरि पुत्र छकौड़ी निवासी गण हरैया थाना धर्मसिंहवा 3- बीरबल साहनी पुत्र भरोसा साहनी निवासी सिंगहा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी चौकी बौरव्यास उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश सिंह मय हमराह ।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार**

● थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

● थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

● थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1483 द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल** – पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत रैना पेपर मिल से इवेन्ट संख्या 11057 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 01 मिनट में दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को प्राइवेट वाहन से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा दुर्घटना के संबंध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।  
**पीआरवी स्टाफ** – आरक्षी फूलबदन यादव, आ0 बृजेश कुमार यादव , हो0चा0 राकेश पाण्डेय।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 65 वाहनो से 54000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 01.11.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 65 वाहनो से 54000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।